न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा०टी०एक्ट सं0 28/2017

1 नांगीलाल पुत्र रामेश्वर
2 नृसिंह पुत्र रामेश्वर
3 मोहनलाल पुत्र रामेश्वर
4 मनभो पत्नि रामेश्वर
5 कानाराम पुत्र रामेश्वर
6 गिर्राज पुत्र रामेश्वरं

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम नीमाली तहसील दौसा जिला दौसा

बनाम

1. गंगाराम पुत्र रणजीता
2. हीरालाल पुत्र रणजीता
3. गोविन्दसहाय पुत्र रण्सजीता
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रीकिशन
5. लाखाराम पुत्र श्रीकिशन
6. हरजीराम पुत्र श्रीकिशन
7. अर्जुनलाल पुत्र श्रीकिशन

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम नीमाली तहसील दौसा जिला दौसा

8. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा कुण्डल जरिए ब्रांच मैनेजर
9. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा कुण्डल जरिए शाखा प्रबन्धक
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील दौसा
11. उपतहसीलदार तहसील सैंथल

अपील विरूद्ध प्राथमिक व फाईनल डिकी दिनांक 29–6–2016 राजस्व कैम्प कालोता

उपस्थित : 1. श्री वरूण नागर, अधिवक्ता अपीलांट्स।
2. श्री योगेश जाकड, अधिवक्ता रेस्पों. सं0 01 से 03 की ओर से।
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:: निर्णय ::–

दिनांक: 30.4.2025

1. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स द्वारा उप तहसीलदार सैंथल द्वारा पारित प्राथमिक व फाईनल डिकी दिनांक 29.6.2016 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख प्राप्त किया गया।
3. अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स व रेस्पो० संख्या 1 ला० 7 की संयुक्त खातेदारी की शामलाती भूमि खसरा नम्बर 2177 रकबा 0.10 है0, 2178 रकबा 0.29 है0, 2180 रकबा 0.09 है0, 2181 रकबा 0. 03 है0, 2183 रकबा 0.55 है0, 2184 रकबा [illegible] है0, 2185 रकबा 0.28 है0, 2186 रकबा 0.20 है०, 2188 रकबा 0.59 है0, खसरा नंबर [illegible] रकबा 0.16 है., खसरा नंबर 2189 रकबा 0.61है.खसरा नंबर 2190 रकबा [illegible], 2191 रकबा 0.30 है०, 2192 रकबा 0.27 है0, 2193 रकबा 0.05 है0, 2194 रकबा 0.05 है0, 2195 रकबा 0.08 है0, 2196 रकबा 0.12 है0, 2197 रकबा 0.03 है०, 2198 रकबा 0.08 है0, 2205 रकबा 1.09 है0 कुल किता 21 कुल 5.49 है0 वाके ग्राम कुण्डल तहसील दौसा जिला दौसा मे स्थित है। उक्त भूमि पर अपीलांट्स वाहमी तकास्मे के अनुसार अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है व आज भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:32:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर,दौसा

उस पर अपीलांट्स का कब्जा है एवं अपीलांट्स के अपने हिस्से पर मकान इत्यादि भी बने हुए है। उक्त भूमि के तकास्मे हेतु राजस्व कैम्प कालोता दिनांक 29–6–2016 को तकास्मे का एक प्रारूप प्रस्तुत किया गया। उपतहसीलदार सैंथल के समक्ष अपीलांट्स को यह बतलाया गया कि मौके पर जैसे जैसे अपीलांट्स व रेस्पो संख्या 1 ला0 7 का कब्जा है, उसी मुताबिक तकास्मा किया जा रहा है चूंकि उपतहसीलदार पटवारी गिरदावर सभी सरकारी कर्मचारी थे व अधिकारी थे एवं रेस्पो० संख्या 1 ला० 7 से भी अपीलांट्स का उस समय किसी प्रकार का कोई विवाद नही था चूंकि राजस्व कैम्प मे काफी भीडभाड थी इसलिए अपीलांट्स जो कि अनपढ ग्रामीण परिपेक्ष्य के लोग है जो ज्यादा नही समझते है उन्होने उपतहसीलदार गिरदावर पटवारी के कहने से खाली कागज व खाली प्रिन्टेड फॉर्म व खाली स्टाम्प पर हस्ताक्षर करके तकास्मे की सहमति दे दी। लेकिन पटवारी गिरदावर व उपतहसीलदार सैंथल ने मौके पर जहां अपीलांट्स का कब्जा है उसके मुताबिक विभाजन न करके एक फेग व बोगस तकास्मा का प्रारूप बनाकर उस पर गलत तरीके से मौके की स्थिति के विपरीत विभाजन कर दिया है जिसके विरूद्व यह अपील पेश की जा रही है। योग्य अधिनस्थ उप तहसीलदार सैंथल का विभाजन की प्राथमिक व फाईनल डिकी विधी विरूद्ध एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। योग्य अधिनस्थ उपतहसीलदार ने खसरा नम्बर 2178 रकबा 0.29 है0, 2183/2 रकबा 0.16 है0, 2184 रकबा 0.17 है0, 2186 रकबा 0.20 है०, 2187 रकबा 0.16 है0, 2190 रकबा 0.35 है0, 2196/1 रकबा 0.06 है0, 2205/1 रकबा 0.34 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.73 है० वाके ग्राम कुण्डल भूमि अपीलांट्स को विभाजन मे दी। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अपीलांट्स पूर्व के विभाजन के अनुसार खसरा नम्बर 2196 के संपूर्ण रकबे पर अर्थात 0.12 है० रकबे पर काबिज है व इस खसरा नम्बर 2196 रकबा 0.12 है0 मे अपीलांट्स का बोरिंग भी है व पुख्ता मकान भी बना हुआ है जो लगभग 8–10 वर्षो से बना हुआ है जिसमे अपीलांट्स निवास कर रहे है, के संबंध मे अपीलांट्स ने खसरा नम्बर 2196 नम्बर अपीलांट के हिस्से मे अंकित करने की सहमति दी थी एवं इस सहमति की जानकारी पटवारी, गिरदावर व उपतहसीलदार को भी थी। लेकिन उपतहसीलदार सैंथल ने उक्त खसरा नम्बर 2196 को अपीलांट्स की खातेदारी मे व तकास्मे मे न दर्शाकर एक अनावश्यक विवाद पैदा किया है एवं जो सहमति दी गई थी उसके विपरीत कार्य कर अपीलांट्स के साथ धोखाधडी की गई है। इस प्रकार से उक्त आदेश बाबत विभाजन निरस्तनीय है। खसरा नम्बर 2177 व खसरा नम्बर 2197 जो कि गै०मु० रास्ते है इनका कोई विभाजन नही किया गया है। इसके अलावा 2193/1, 2194/1, 2195, 2205/4 का भी कोई विभाजन नही किया गया है जबकि इनका भी विभाजन किया जाना कानूनन आवश्यक था लेकिन ऐसा न कर उपतहसीलदार सैंथल ने कानूनी गलती की है। तकास्मे मे जो भूमियां पक्षकारो को दी गई है उनमे आने जाने के लिए रास्तो की स्थिति को नही दर्शाया गया है एवं बिना रास्तो को दर्शाये उपतहसीलदार सैंथल ने तकास्मा करने मे कानूनी गलती की है। अपीलांट्स गरीब अनपढ ग्रामीण परिवेश के लोग है अपीलांट्स से पटवारी गिरदावर व उपतहसीलदार सैंथल ने विभाजन करवाने के लिए खाली प्रिन्टेड फॉर्म व खाली स्टाम्प व खाली कागज पर हस्ताक्षर करवा लिये उस समय राजस्व कैम्प मे काफी भीडभाड थी चूंकि पटवारी गिरदाव[illegible]त तरीके से विभाजन का आश्वासन दिया था व किसी प्रकार का [illegible] था। इसलिए सदभाव में अपीलांट्स ने उनके बताये हुए फार्म व नक्शे व खाली कागजो पर हस्ताक्षर व अंगूठा निशानीया कर दी। लेकिन जो नक्शा बनाया [illegible] उसके मुताबिक भूमि को अपीलांट्स के खाते मे दर्ज नही किया गया व अपीलांट्स का पूर्व से जो कब्जा चला आ रहा था उसके मुताबिक न तो मौके पर विभाजन किया गया न नक्शे मे विभाजन किया गया और न ही राजस्व रिकॉर्ड मे उसकी एन्ट्री की गई। इसके अलावा जिस हिसाब से रंग भरा गया उस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:32:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

हिसाब से भी राजस्व रिकॉर्ड मे एन्ट्री न कर उपतहसीलदार सैंथल ने कानूनी गलती की है। पिछले दिनो दिनांक 05–10–2017 को रेस्पो० ने अपीलांट्स के विरूद्ध न्यायालय उपजिला कलैक्टर दौसा के यहां उक्त गलत व फेग विभाजन के आधार पर सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराने का प्रार्थना पत्र उप जिला कलैक्टर के यहां प्रस्तुत किया था। जिसमे उक्त नम्बर प्रार्थना पत्र मे लिखे हुए थे, अपीलांट्स जब उक्त तारीख पेशी पर उपस्थित हुए व वकील नियुक्त किया तो उन्होने अपीलांट्स को उपतहसील सैंथल मे जाकर तकास्मा का क्या आदेश हुआ है इसकी जानकारी करने का निर्देश दिया इस पर अपीलांट गिर्राज दिनांक 9–10–2017 को उपतहसीलदार कार्यालय गया व वहां से तथ्यो की जानकारी प्राप्त की तो दिनांक 29–6–2016 को उक्त तकास्मा फेग तरीके से हो जाने की जानकारी हुई। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ उपतहसीलदार सैंथल राजस्व कैम्प कालोता की प्राथमिक व फाईनल डिकी 29–6–2016 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे एवं मौके पर जो अपीलांट्स का व रेस्पो० का कब्जा है उसके मुताबिक है, विभाजन किये जाने का आदेश फरमावें।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी/रेस्पों0 सं0 1 से 3 ने बहस में दलील दी कि उप तहसीलदार सैंथल ने अपीलांट्स व रेस्पों0 सं0 01 से 07 के मध्य भूमि का विधिवत तकास्मा आदेश पारित किया गया है। अपीलांटस के द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गई है उक्त भूमि का आपसी सहमति से तकास्मा उप तहसीलदार सैंथल के द्वारा कैंप कालोता में पारित किया गया है। आपसी सहमति से जो तकास्मा होता है उसकी अपील नहीं हो सकती है। अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पों0 सं01 से 3 ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 14.11.2015, 2015(2) आरआरटी 1420, आरआरडी 14.9.2016 की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

5. रेस्पों0 सं0 4 से 9 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि उप तहसीलदार सैंथल के द्वारा कैंप कालोता में अपीलांट्स व रेस्पों0 सं0 1 से 7 की भूमि का आपसी सहमति से विधिवत रूप से तकास्मा आदेश पारित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

7. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. यह प्रकरण तहसीलदार द्वारा पारित आपसी सहमति के आदेश दिनांक 29.6.2016 राजस्व कैंप कालोता के विरूद्ध किया गया है जिसमें अपीलांट का कथन है कि उक्त बंटवारा मोके पर कब्जे के आधार पर यह तकास्मा नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा इस संबंध में धारा 128 एलआर एक्ट के आदेश न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा दिनांक 31.12.2018 एवं राजीनामा प्रार्थना पत्र धारा 128 एलआर एक्ट प्रस्तुत किया जिसमें उपखंड अधिकारी द्वारा राजीनामे के आधार पर स्वीकार कर तहसीलदार दौसा को विवादित आराजी का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी कायम करवाने हेतु आदेशित किया। उक्त आदेश की पालना में राजस्व विभाग की टीम द्वारा 27.9.2019 को पत्थरगढी की कार्यवाही की गई जिसमें यह अंकित किया गया कि खसरा नं[illegible]/2 रकबा 0.06है. में से 0.04है. भूमि गंगाराम हीरालाल गोविंदसहा[illegible] मांगीलाल, नरसिंह, मोहनलाल, कानाराम पि. रामेश्वर जाति गुर्जर [illegible] में दी गई। उक्त खसरा 2196/2 में पुख्ता आवास बना होने के कारण अदला बदली की गई। इस रिपोर्ट से यह सिद्ध होता है कि जो तकास्मा तहसीलदार द्वारा तकास्मा आपसी सहमति के आधार पर किया गया था वह मौके के अनुरूप नहीं है। रेस्पों0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआटी 2015(2) में यह विनिश्चित किया गया है कि यह यदि राजीनामें के आधार पर तहसीलदार द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:32:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, दौसा

तकास्मा किया गया हो तो उस राजीनामे को छल कपट की सिद्धि सिविल न्यायालय में ही किया जा सकता है। रेस्पों0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 14.9.2013 में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रकट किया है कि विद्वान अपर कलेक्टर नागौर द्वारा आपसी सहमति के विभाजन प्रस्ताव पर बिना उक्त प्रस्ताव के विधि विरूद्ध होने की टिप्पणी किये बिना ही उसे खारिज कर दिया। उनके पास ऐसा कोई विधिसम्मत आधार नहीं था जिससे सहमति से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को विधिसम्मत नहीं माना जा सके। अतः अपर कलेक्टर नागौर के आदेश को माननीय राजस्व मंडल द्वारा खारिज फरमा दिया गया। रेस्पों0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 14.11.2015 में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर बाडमेर द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित सहमति के आदेश को बिना नियम के खारिज किया जो कि न्यायसंगत नहीं है।

9. उपरोक्त तथ्यों एवं न्यायिक दृष्टान्तों से हमारे समक्ष यह सिद्ध होता है कि उक्त तकास्मा जो कि तहसीलदार द्वारा किया गया है वह मौके की स्थिति अनुसार नहीं है। किन्तु यह भी तथ्य हमारे समक्ष है कि आपसी सहमति के बंटवारे में अपीलांट के हस्ताक्षर भी है जो कि धारा 53(2) राज0 काश्तकारी अधिनियम के अनुरूप है। अतः इस निष्कष्र पर पहुॅचना की प्रार्थी अनपढ गरीब है एवं खाली कागज एवं खाली प्रिन्टेड फार्म पर हस्ताक्षर करके उनके द्वारा सहमति दी गई थी, अतः यह तकास्मा फेक व बोगस है पर निर्णय किया जाना अधोहस्ताक्षरकर्ता की न्यायिक सीमा से परे है।
10. उक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायिक परिक्षेत्र से बाहर होने के कारण खारिज की जाती है। तहसीलदार द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.6.2016 को यथावत बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति क साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 अप्रेल, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:32:08 IST
Reason: SelfAttested